प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.06.2026

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 04 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार , कब्जे से 17 चोरी किये गये दोपहिया वाहन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 05.06.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 04 अभियुक्त 1.अजय कुमार गुप्ता पुत्र सोना लाल गुप्ता निवासी गंगाराम का मकान ब्राहम्ण चौक के पास गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2.यश शर्मा पुत्र ब्रिजेश शर्मा निवासी विजयपाल का मकान अशोक वाटिका गली न0 9 गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 3.मौहम्मद शाहदाब उर्फ राजा उर्फ ताऊ पुत्र मौहम्मद अहमद निवासी डी 58/2 गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष 4.मोहित जाटव उर्फ धर्मपाल सिंह निवासी अशोक वाटिका पानी के प्लाण्ट के पास गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को बजीराबाद रोड डीएलएफ कट के पास से 01 चोरी की स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशानदेही पर डीएलएफ कट के पास स्थित ग्रीन बेल्ट की झाडियों में झिपाकर रखी गयी अन्य 08 मोटरसाइकिल व 08 स्कूटी बरामद की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 198/26 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह सभी मोटरसाइकिल व स्कूटी हमने तथा हमारे साथी सैफू पुत्र मौ0 अब्दुल निवासी हुसैनी मस्जिद के पास मास्टर कालोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद के साथ मिलकर गाजियाबाद व दिल्ली के क्षेत्र से अलग अलग तारीखो में चोरी की थी । जिन्हें हम बडे वाहनों में भरकर कहीं बाहर बेचने के लिए ले जाने वाले थे तथा हम काफी समय से मोटरसाइकिल चोरी कर रहे है । चोरी करने के बाद सभी मोटरसाइकिल को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाकर एकत्रित कर रहे थे, जब हमारे पास यह 08 मोटरसाइकिल व 09 स्कूटी चोरी कर एकत्रित कर ली गयी तो हम इन्हें आज बडे वाहन मे रखकर शहर से बाहर ले जाकर बेचने जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तभी पुलिस ने हमें इन चोरी किये वाहनों के साथ पकड़ लिया । इससे पहले भी हम कई बार इस तरह की घटनाएं कर चुके है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1.अजय कुमार गुप्ता पुत्र सोना लाल गुप्ता निवासी गंगाराम का मकान ब्राहमण चौक के पास गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष ।

2.यश शर्मा पुत्र ब्रिजेश शर्मा निवासी विजयपाल का मकान अशोक वाटिका गली न0 9 गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष ।

3.मौहम्मद शाहदाब उर्फ राजा उर्फ ताऊ पुत्र मौहम्मद अहमद निवासी डी 58/2 गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

4.मोहित जाटव पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी अशोक वाटिका पानी के प्लाण्ट के पास गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

5.सैफू पुत्र मौ0 अब्दुल निवासी हुसैनी मस्जिद के पास मास्टर कालोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ कमि0 गाजियाबाद। (वांछित)

बरामदगी का विवरण:-

- कुल 17(08 मोटर साइकिल व 09 स्कूटी) चोरी के 02 पहिया वाहन।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। शेष आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 50 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.05.2026 को थाना लोनी पर वादी सुरेन्द्र पुत्र राममहर निवासी गांव गनोली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 30.05.2026 को अभियुक्त 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी गांव गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी गनौली 4. गौरव निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी गांव गनौली व अन्य द्वारा गोली मारकर अपहरण कर गाडी में जबरन डाल कर अपने साथ ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 109(1)/140(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत मु0अ0स0152/2026 पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु कई पुलिस टीमें का गठन किया गया तत्पश्चात वांछित अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी गांव गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी गनौली 4. गौरव पुत्र नामालूम निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी गांव गनौली की गिरफ्तारी के प्रयास किये गये तथा अभियुक्तगण पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। विवेचना के क्रम में वाछिंत

अभियुक्तगण को संरक्षण देने व आपराधिक षडयन्त्र में सलिप्त होने के कारण उपरोक्त अभियोग में **अब तक कुल 17 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।**

आज दिनांक 05.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित/नामित अभियुक्त 1.मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष , 50000 रुपये के घोषित इनामिया को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त मोहित ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारा विपक्षीगण से दिनांक 20.05.2026 की घटना मे देवांश की गाडी का पीछा करने को लेकर जो विवाद हुआ था उसमे मेरा नाम भी ओमकार के पुत्र देवांश द्वारा लिया गया था , मैं गोपाल का बचपन का दोस्त हूँ। गोपाल की दोस्ती सौरभ से भी है , सौरभ और देवांश का झगडा हुआ था उक्त झगडे की पंचायत विक्की के घर पर दिनांक 29.05.2026 को हुई थी पंचायत में ओमकार ने सौरभ व सौरभ के पिता विजेन्द्र के साथ पंचायत में बेइज्जती करते हुये मारपीट की थी ,जिसके कारण सौरभ व उसके पिता की बेईज्जती का बदला लेने के लिये हम लोग 1.गौरव 2. सौरभ उर्फ भोला 3. गोपाल 4. गौरव निवासी गौतमबुद्धनगर, और मैं (मोहित) ने रात को ही योजना बनाकर बदला लेने की नीयत से सौरभ की स्विफ्ट कार द्वारा गांव से बाहर निकले तथा सौरभ अपने साथ गाड़ी में 01 पिस्टल व 01 तमंचा लेकर आया था। हम सभी लोग कार से जावली गांव होते हुए टीला गांव शराब के ठेके पर पहुचे तथा शराब लेकर गांव के बाहर खेतों में रात को रुके। हमें यह जानकारी थी कि रोजाना की भांति ओमकार सुबह पशुओ को चारा लेने जायेगा। हम लोगो ने ओमकार को बाइक पर आते देखा हम सभी लोगों ने कार से पीछा करके निठोरा अन्डर पास के नीचे रोककर उसकी गोलियां मारकर हत्या कर शव को कार की डिग्गी में रखकर रटौल होते हुये ग्रामीण रास्तों से हिन्डन नदी पुरामहादेव रोड पर पहुचें । नदी में पानी कम था और वहां किसानों का आना-जाना था जिसके कारण हम लोग वहां से आगे बढे और पूठखास पुल के पास पहुंचकर नहर के किनारे 500-600 मीटर जंगल की तरफ जाकर ओमकार के शव को डिग्गी से निकाल कर नहर में फेंक दिया और हम लोग फरार हो गये। आज मैं छिपता छिपाता गांव के लिए आ रहा था कि निठौरा गेट के पास से पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा परीक्षा में नकल करने वाला अभियुक्त हिरासत में लिया गया, कब्जे से 01 ब्लूटूथ बरामद।

आज दिनांक 05.06.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र राघवेन्द्र सिंह निवासी मथुरा उत्तर प्रदेश को इंडियन आर्मी अग्निवीर सी.ई.ई. परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ (इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस) से नकल करते हुए पकड़े जाने पर हिरासत में लिया गया तथा धारा 4(1)/13(1) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं परीक्षा केन्द्र में ब्लूटूथ को छिपाकर ले गया था तथा उसी ब्लूटूथ के माध्यम से मैं परीक्षा में नकल कर रहा था।

अभियुक्त का नाम व पता –

मनीष कुमार पुत्र राघवेन्द्र सिंह निवासी मथुरा उम्र करीब 18 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

हिरासत में लेने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।